बिहार सरकार
कार्यालय, अनुमण्डल पदाधिकारी / दण्डाधिकारी, मसौढ़ी (पटना)
(गोपनीय शाखा)

दूरभाष सं0–06122434246 (का0)
eblocks.bih.nic.in/patna.nic.in
ई–मेल–sdo.masaurhi@gmail.com

बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 के तहत राज्यसात किये गये वाहनों की सार्वजनिक नीलामी हेतु अल्पकालीन सूचना विज्ञप्ति संख्या–11 / 2020

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 एवं (संशोधित) अधिनियम 2018 के तहत मसौढ़ी अनुमण्डल अन्तर्गत विभिन्न थाना द्वारा दर्ज उत्पाद काण्डों में जप्त वाहनों की अधिहरण हेतु अनुशंसा प्रस्ताव के आलोक में समाहर्त्ता एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा निम्न अधिहरण वादों मे राज्यसात किये गए वाहनों का आम नीलामी (Public Auction) "जहाँ है जिस स्थिति में है" के आधार पर निर्दिष्ट शर्तो के अधीन **दिनांक–14.02.2020** को मसौढ़ी अनुमंडल सभागार कक्ष में पूर्वाह्न **समयः–01:00 बजे अपराह्न** में किया जाएगा। यदि किसी कारणवश निर्धारित तिथि को नीलामी प्रक्रिया सम्पन्न नहीं होती है तो उसके अगले कार्यदिवस (17.02.2020) को पूर्व निर्धारित समयानुसार आम नीलामी किया जायेगा। इच्छुक व्यक्ति संबंधित थाना में वाहनों का अवलोकन कर सकते हैं।

क्र0 सं0	अधिहरण वाद सं0	थाना काण्ड सं0	वाहन का प्रकार	वाहन का निबंधन सं0	मूल्यांकित राशि
1	2413 / 18–19	पिपरा थाना काण्ड संख्या–108 / 18	मारूती जेन कार	BRIV-7530	18,000 / –
2	2068 / 18–19	पिपरा थाना काण्ड संख्या–42 / 18	मोटरसाईकिल	BR01X-7228	4,000 / –
3	528 / 19–20	पिपरा थाना काण्ड संख्या–44 / 19	मोटरसाईकिल	BR01VO-2449	4,000 / –
4	2638 / 18–19	पुनपुन थाना काण्ड संख्या–223 / 17	टाटा इंडिका	HR29T-0811	19,000 / –
5	4251 / 18–19	पिपरा थाना काण्ड संख्या–28 / 19	मारूति जैन कार	BR2A-7781	20,000 / –
6	631 / 17–18	पुनपुन थाना काण्ड संख्या–285 / 17	टेम्पु	BR01PF-3767	21,000 / –
7	2658 / 18–19	भगवानगंज थाना कांड संख्या–38 / 18	मोटरसाईकिल	BR1Y-2500	4,000 / –
8	3635 / 18–19	पिपरा थाना कांड संख्या–15 / 19	मोटरसाईकिल	BR01AJ-2767	9,000 / –
9	1925 / 19–20	पिपरा थाना काण्ड संख्या– 94 / 19	मोटरसाईकिल	BR01EH-4662	18,000 / –
10	2073 / 18–19	पिपरा थाना काण्ड संख्या–03 / 18	मोटरसाईकिल	BR-01CT-9732	12,000 / –

नीलामी की शर्ते :–

(1) नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्तियों को आधार कार्ड / मतदाता पहचान पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।

(2) नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्तियों को डाक प्रांरभ होने के पूर्व वाहन का न्यूनतम मूल्यांकित राशि का 25% नकद जमानत राशि अनुमण्डल नजारत शाखा, मसौढ़ी में जमा करना होगा, जिसे नीलामी में सफल व्यक्ति का अग्रधन राशि नीलामी की तय राशि में समायोजित कर ली जायेगी तथा अन्य असफल व्यक्तियों को जमा अग्रधन की राशि वापस कर दी जायेगी।

(3) नीलामी में सफल व्यक्तियों को नीलामी की तय राशि का 50% राशि जमा करना होगा एवं शेष आधी राशि 03 कार्यदिवसों के अंदर अनुमंडल कार्यालय, मसौढ़ी के नजारत, शाखा में नाजीर रसीद के माध्यम से जमा करना होगा, अन्यथा अग्रधन की राशि जप्त कर नीलामी रद्द कर दी जायेगी।

(4) सफल डाकवक्ता को वाहन का निबंधन कराने के निमित्त मात्र नीलामी कर दिये जाने का अधिकार पत्र निर्गत किया जायेगा। वाहन संबंधी कागजात बनाने की जिम्मेदारी नीलामी प्राप्त करने वाले क्रेता की होगी। वाहन का पूर्व से निबंधित कागजात देने के लिए विज्ञापनदाता / निलामकर्त्ता बाध्य नही होगी तथा वाहन को सभी प्रकार के भार (Free of all encumbrances) से मुक्त मानते हुये नीलामी की जाएगी।

(5) अधिकतम डाक बोलने वाले व्यक्ति को हीं पूर्ण भुगतान के पश्चात् ही वाहन नीलामी कर दिये जाने मात्र का अधिकार पत्र निर्गत किया जायेगा। नीलामी में सफल डाकवक्ता / क्रेता को नियमानुकूल सभी देय करों का भुगतान करना होगा।

(6) न्यायालय से आच्छादित मामलों के संज्ञान में आने पर अथवा बिना कारण किसी भी वाहन या सभी वाहनों की नीलामी रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

(7) नीलामी संबंधी विस्तृत जानकारी कार्यालय के सूचना पट्ट अथवा जिले / अनुमंडल के अधिकृत बेबसाईट पर देखा जा सकता है।

05/2/2020

अनुमण्डल पदाधिकारी,
मसौढ़ी।

Scanned by CamScanner